## न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश विश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 11/2021

| **प्रार्थी–** | ***बनाम*** | **अप्रार्थी–** |
|---|---|---|
| राजस्थान सरकार जरिये<br>खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर | | मूलाराम दौलाराम जाति भूंकर निवासी दान जी की हौदी, जिला बाड़मेर (मैसर्स बजरंग दूध डेयरी एण्ड किराना स्टोर, कल्याणपुरा, जगदम्बा मंदिर के सामने वाली गली, बाड़मेर का मालिका) |

**परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006**

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री केसराराम बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

### आदेश

दिनांक : 16.08.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थी ने दौराने गश्त दिनांक **23.09.2020** को अप्रार्थी के प्रतिष्ठान **मैसर्स बजरंग दूध डेयरी एण्ड किराना स्टोर, कल्याणपुरा, जगदम्बा मंदिर के सामने वाली गली, बाड़मेर** में चैक करने पर एक फ्रीज में कुल 10 किग्रा विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **दही (खुला)** भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **800 ग्राम दही (खुला)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1177** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी [illegible] के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **दही (खुला)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **दही (खुला)** का नमूना **अवमानक (Sub-standard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:56:39 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को जवाब हेतु समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद प्रतिरक्षण में कोई जवाब पेश नहीं किया गया।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **23.10.2020** में उक्त नमूना **अवमानक (Sub-standard)** खाद्य का पाया गया है। इस पर अप्रार्थी को पदाभिहीत अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब/उजर प्रस्तुत नहीं किया गया। यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया, जिस पर भी अप्रार्थीगण द्वारा अनुपस्थित रहते हुए अपने प्रतिरक्षण के रूप में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। जांच रिपोर्ट अनुसार Milk Fat मानक स्तर न्यूनतम 4.5% के मुकाबले में 2.19% एवं Milk Solid Not Fat मानक स्तर न्यूनतम 8.5% के मुकाबले में 6.38% पाया गया है जो कि मानक स्तर से कम है। इस प्रकार खाद्य पदार्थों की मानकता के स्तर का नहीं होने से उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर संयुक्त रूप से अपराध की गंभीरता को देखते हुए **रूपये 10,000/-** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:56:39 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक **16.08.2021** को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

(ओम प्रकाश विश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:56:39 IST
Reason: SelfAttested